

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ दण्डिक अपील संख्या 119/1986

हरिओम बनाम राजस्थान राज्य।

निर्णय दिनांक: 30/6/2009

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री दीपक सोनी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी उप0

श्री पीयूष कुमार लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य उप0

न्यायालय द्वारा-

अपीलार्थी हरिओम की ओर से यह अपील, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर के निर्णय दिनांक 5/3/86 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता का दोषी करार देते हुए, उसे अपराध अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के लिये पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जुर्माना जमा न कराने की सूरत में 6 माह का कठोर कारावास और भुगतने का आदेश दिया गया है।

इस अपील में एक मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 31/7/2008 प्रस्तुत किया गया है, जो कि राजीव रस्तोगी, पूर्व उपाध्यक्ष- नगरपालिका, धौलपुर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि हरिओम

की मृत्यु करीब 12 वर्ष पूर्व हो चुकी है।

अपील उपशमन (abate) हो चुकी है। परिणामतः यह अपील उपरोक्त कारणों से खारिज की जाती है।

(महेशचन्द्र शर्मा)
न्यायाधिपति

/राम/